संख्या : 786/आठ–1–08–32विविध/07

प्रेषक,

आर.के. सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास पारिषद
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 30 जनवरी, 2008

विषय : उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासी एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियायत दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 1967/9–आ–1–01–6रिट/2000, दिनांक 27.04.01 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2002–03 में दृष्टिहीन संघ की मांगों पर की गयी घोषणाओं/आश्वासनों आदि की समयबद्ध ढंग से पूर्ति किये जाने हेतु मा. अध्यक्ष, उ.प्र. राज्य सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित की जा रही आवासी एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों में विकलांगजन के लिए प्रत्येक श्रेणी में 3 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित किया जाये तथा विकलांगजन अधिनियम, 19995 की धारा–43 के अनुसार आवश्यक रियायतें दी जायें।

3. इस संबंध में उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.01 के क्रम में ,सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि व्यवसायिक तथा समस्त आवासीय भवनों/भूखण्डों पर सामान्य रूप से विकलांग आवेदकों को 10 प्रतिशत तथा गम्भीर रूप से विकलांग आवेदकों को 20 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाये। उपर्युक्त रियायत के फलस्वरूप आने वाले व्यय भार कार वित्त पोषण पर्व व्यवस्था की भांति 'क्रास सब्सिडी' के माध्यम से

किया जायेगा, जो सम्पूर्ण योजना पर डाला जायेगा। क्रास सब्सिडी का भार सीमा में रहे, अतः प्रश्नगत वित्तीय भार ऐसी ही योजनाओं पर डाला जायेगा, जहां 50 प्रतिशत से अधिक विक्रयशील भूमि निस्तारण हेतु अभी शेष हो।

4. संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.01 में की गयी व्यवस्थाओं को पुनः स्पष्ट करते हुए निदेशित किया जाता है कि विकलांग आवेदकों को उपलब्ध 3 प्रतिशत का हॉरिजेण्टल आरक्षण प्रत्येक श्रेणी (ई.डब्ल.एस., एल.आई.जी., एम.आई.जी., एच.आई.जी. तथा व्यवसायिक) के भवनों/भूखण्डों पर लागू है।

5. संदर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.01, उपर्युक्त प्रस्तर–3 में उक्त सीमा तक आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है, उक्त शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत् प्रभावी रहेगी।

भवदीय

आर.के.सिंह
विशेष सचिव

संख्या : 786(1)/आठ–1–08 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आर.के.सिंह
विशेष सचिव